न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 75/2025 प्रा.प.

जी.सी.एम.एस.नम्बर—2025/110

उनवान

1. श्रीमती गोमती पत्नी देंगा जी डांगी, उम्र बालिग, निवासी सिंगपुर, तहसील झल्लारा, जिला सलूम्बर (राज.)।

—प्रार्थीया

विरुद्ध

1. श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा, जिला सलुम्बर (राज.)

—विपक्षी

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपखण्ड अधिकारी जिला-सलूम्बर (राज.)

—::निर्णय::—

दिनांकः— 10/11/2025

उपस्थितिः श्री जितेन्द्र कुमार वैष्णव अधिवक्ता—प्रार्थी
पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा उपस्थित।

आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—128 राजस्थान भू—राजस्व अधि—1956 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि मौजा सिंगपुर पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर में प्रार्थी के खातेदारी एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित है, जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 मे वर्णितानुसार खाता संख्या 164 आराजी नम्बर 1188/461 रकबा 0.0320 हैक्टेयर, 1190/462 रकबा 0.0180 हैक्टेयर, 1192/469 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 151 आराजी नम्बर 459/0.0300, 463/0.0300 कुल किता 02 रकबा 0.0600 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 157 आराजी नम्बर 460 रकबा 0.02 हैक्टेयर स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात किता 6 कुल रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी की होकर प्रार्थिया उक्त पुरी भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। उक्त भूमि का सीमांकन व पत्थरगढी नहीं होने से प्रार्थीया अपने खेत में पक्की कोट या बाड भी नहीं कर पा रही है। पडौसियों की भूमि प्रार्थीया की भूमि के पास में आ जाने की वजह से वह जानबुझकर प्रार्थीया को परेशान कर रहे है और उनकी भूमि की बाड कोट को तोडकर खेत में अपने मवेशी घुसा देते है जिससे प्रार्थीया की बोई हुई फसल नष्ट हो जाती है और प्रार्थीया को भारी नुकसान उठाना पडता है। पढौसियों के खेतो के मध्य सीमांकन नहीं होने से लाभ उठा रहे है और प्रार्थीया को तंग व परेशान कर रहे है। प्रार्थीया की आराजी एवं पडौसी आराजीयात के मध्य विधिवत सीमांकन कर पत्थरगढी किया जाना आवश्यक है ताकि दोनों के मध्य भविष्य में किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो। प्रार्थीया अपने खेतो का सीमांकन करा पत्थरगढी करवाये जाने का विधिक अधिकारी है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या में वर्णित प्रार्थिया की भूमि का विधिवत सीमांकन कर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटीस/सम्मन जारी किया गया। विपक्षी संख्या 1 पेरोकार सरकार भूमिधारी तहसीलदार झल्लारा जाहिर आया। जिन्होने जवाब पेश नही कर सीधे बहस सुने जाने हेतु निवेदन किया। तद्पश्चात पत्रावली मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए हुए कथन किया कि प्रार्थीगण की आराजी एवं पडोसी आराजीयात के बीच सीमाकंन व पत्थरगढी नहीं होने से मौके पर विवाद की स्थिति बनी रहती है। अतः निवेदन है कि प्रार्थी

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर जिला –सलूम्बर

बजरियेः– श्री जगदीश चन्द बामनिया आर.ए.एस.

प्रार्थना संख्या–75/2025

उनवान–श्रीमती गोमती बनाम सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट.

की प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित मौजा सिंगपुर पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर में प्रार्थी के खातेदारी आराजी नम्बर 1188/461 रकबा 0.0320 हैक्टेयर, 1190/462 रकबा 0.0180 हैक्टेयर, 1192/469 रकबा 0.0100 हैक्टेयर तथा आराजी नम्बर 459/0.0300, 463/0.0300 तथा आराजी नम्बर 460 रकबा 0.02 हैक्टेयर उक्त वर्णित आराजीयात किता 6 कुल रकबा 0.1400 हैक्टेयर कृषि भूमि का विधिवत सीमांकन कर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे। पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा ने प्रार्थीया के आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया।

बहस मनन की गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थीया प्रार्थना पत्र मे वर्णित खाता संख्या 164 आराजी नम्बर 1188/461 रकबा 0.0320 हैक्टेयर, 1190/462 रकबा 0.0180 हैक्टेयर, 1192/469 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 151 आराजी नम्बर 459/0.0300, 463/0.0300 कुल किता 02 रकबा 0.0600 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 157 आराजी नम्बर 460 रकबा 0.02 हैक्टेयर कृषि भूमि की रेकॉर्डेड खातेदार होकर राजस्व जमाबंदी मे नाम दर्ज अंकित है। प्रार्थीया अपनी उक्त आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने की अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया के मौजा सिंगपुर पटवार हल्का झल्लारा तहसील झल्लारा की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 खाता संख्या 164 आराजी नम्बर 1188/461 रकबा 0.0320 हैक्टेयर, 1190/462 रकबा 0.0180 हैक्टेयर, 1192/469 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 03 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 151 आराजी नम्बर 459/0.0300, 463/0.0300 कुल किता 02 रकबा 0.0600 हैक्टेयर तथा खाता संख्या 157 आराजी नम्बर 460 रकबा 0.02 हैक्टेयर कृषि भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीया को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भू–अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीया से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीया की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार झल्लारा के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल भुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक 10/11/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर (राज.)

(जगदीश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर
जिला–सलूम्बर

सहायक कलक्टर, सलूम्बर
जिला सलूम्बर